न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S.

करण संख्या –01/2021 (अपील)

GCMS No.- 2021/13

1. भैरूलाल आत्मज किशना जाति मेघवंशी निवासी रंगतालाब उर्फ कालातालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–अपीलाण्ट.

बनाम

1. रामप्रसाद आत्मज किशना
2. बंशीलाल आत्मज किशना जाति मेघवाल निवासी काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. सोहनलाल आत्मज किशना जाति मेघवाल निवासी काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान–
   3/1 कमला बाई बेवा पत्नी सोहनलाल
   चन्द्र प्रकाश आत्मज सोहनलाल
   3/3 सुनीता पुत्री सोहनलाल
   3/4 निर्मला पुत्री सोहनलाल
   जति मेघवाल निवासी काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. पुष्पा पुत्री किशना जाति मेघवाल निवासी सकतपुरा कोटा
5. बाबूलाल आत्मज किशना जाति मेघवाल निवासी खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान–
   5/1 पार्वती बाई बेवा पत्नी बाबूलाल
   5/2 धनराज आत्मज बाबूलाल
   5/3 रवि कुमार पुत्र बाबूलाल
   5/4 चन्द्रकला पुत्री बाबूलाल
   5/5 विमला पुत्री बाबूलाल
   5/6 ओमकला पुत्री बाबूलाल
   5/7 संजू पुत्री बाबूलाल
   5/8 मन्जू पुत्री बाबूलाल
   5/9 सोनिया पुत्री बाबूलाल
   5/10 रमेश पुत्र बाबूलाल मृतक जर्ये का0मु0
   5/10/1 पिंकी बेवा रमेश
   5/10/2 रजत पुत्र रमेश
   5/10/3 नन्दनी पुत्री रमेश
   जाति मेघवाल निवासी खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. मोहनलाल आत्मज किशना मृतक जर्ये का0मु0
   6/1 शांति बेवा मोहनलाल
   6/2 महेन्द्र आत्मज मोहनलाल
   6/3 मुकुट आत्मज मोहनलाल
   6/4 दीपक आत्मज मोहनलाल
   6/5 रानी पुत्री मोहनलाल
   जाति मेघवाल निवासीगण कालातालाब हाल निवासी आरामपुरा तहसील लाडपुरा
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा
8. बाबूलाल आत्मज मथुरालाल निवासी ग्राम खोली तहसील इकलेरा जिला झालावाड
9. राहुल मेहरा पुत्र ओमप्रकाश निवासी रेल्वे लोको कोलोनी क्वार्टर नं0 15–ए, कोटा जंक्शन
10. बेबी बाई उर्फ राजराजेश्वरी तंवर पत्नी ओ0पी0 तंवर जाति खंगार निवासी बसन्त बिहार कोटा

जिला कलक्टर
कोटा

11. संदीप पुत्र बाबूलाल जाति मेघवाल
12. नवीन पुत्र बाबूलाल जाति मेघवाल
13. रितेश पुत्र बाबूलाल जाति मेघवाल
14. शिल्पी पुत्री बाबूलाल जाति मेघवाल
15. संतोष बेवा बाबूलाल जाति मेघेवाल निवासीगण कालातालब उर्फ रंगतालाब तह0 लाडपुरा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी इन्तकाल 516 दिनांक 04.01.2007 ग्राम रंगताला उर्फ काला तालाब तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

उपस्थितः–

1. श्री रामकिशन वर्मा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0 नं0 8
3. श्री सुधीन्द्र यादव अभिभाषक रेस्पो0 11 से 15

निर्णय

दिनांक–19.03.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा में खाता संख्या 46के खसरा नम्बर 438 की रकबा 2.38 हे0 भूमि के सह खातेदार भैरूलाल, बाबूलाल, रामप्रसाद, बंशीलाल, सोहनलाल, मोहनलाल पिता किशना, पुष्पा पुत्री किशना के मुख्तार आम रमेशचंद द्वारा बेचान करने से क्रेता रेस्पोडेन्ट नं0 8 बाबूलाल आत्मज मथुरालाल के नाम तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तकरण संख्या 516 दिनांक 4.1.2007 स्वीकृत किया गया ।

2. उक्त नामान्तकरण आदेश की अप्रसन्नता में अपीलान्ट द्वारा यह अपील 30.12.2020 को लिमिटेशन की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है कि ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तालाब की खसरा नम्बर 438 की 2.38 हे0 भूमि स्थित थी जिसमें किशना जी का 1/3 हिस्सा दर्ज था, किशना जी की मृत्यु के बाद 1/3 हिस्सा उनके 9 वारिसान के नाम दर्ज हुई । जिसमें प्रत्येक का 1/27 , 1/27 हिस्सा बनता है । सह खातेदार रेस्पो0 नं0 1 लगायत 4 ने उक्त भूमि में से अपने 4/27 हिस्से की 0.35 हे0 भूमि बाबूलाल आत्मज मथुरालाल को बेचान कर दी किन्तु राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 5–6 का नाम दर्ज होने के कारण विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये । इस बाबत विक्रय पत्र के अन्त में पृष्ठ पर अंकित है कि उक्त 0.35 हे0 रेस्पो0 नं0 1 लगायत 4 के हिस्से की भूमि ही बेचान की गयी है तथा अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 5 व 6 यानी भैरूलाल, बाबूलाल , व मोहनलाल का हिस्सा नहीं बेचा है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा व पटवारी हल्का ने इंतकाल तो सही तस्दीक किया है किन्तु इंतकाल के कॉलम नं0 9 में ख0नं0 438 की भूमि में बेची गयी 4/27 हिस्से की भूमि पर क्रेता बाबूलाल आत्मज मथुरालाल का नाम दर्ज हो गया किन्तु शेष रही 3/27 हिस्से की भूमि अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 4–5 के हिस्से की रही किन्तु 3/27 हिस्से पर पुनः रेस्पो0 नं0 1 लगायत 4 का नाम अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 5–6 के साथ दर्ज कर दिया जो गलत है । इस कारण उक्त इन्तकाल आंशिक रूप से निरस्त होने योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई । रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 4 की ओर से एवं 3/1 से 3/4 की ओर से अभिभाषक श्री रामस्वरूप ऋषि का वकालतनामा पेश हुआ । रेस्पोडेन्ट नं0 8 की ओर से श्री संजय शर्मा अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ, तथा रेस्पो0 नं0 11 से 15 तक की ओर से अभिभाषक श्री सुधीन्द्र यादव का वकालतनामा पेश हुआ । वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई । रेस्पोडेन्ट नं0 8 के अभिभाषक श्री संजय शर्मा एवं रेस्पो0 नं0 11 से 15 के अभिभाषक श्री सुधीन्द्र यादव उपस्थित, शेष रेस्पोडेन्ट के वकील को आवाजें लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं होने से अनुपस्थिति दर्ज की जाकर उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी ।

जिला कलक्टर
कोटा

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी लिखित बहस में मुख्यरूप से कथन किया है कि सह खातेदार रेस्पो0 नं0 1 लगायत 4 ने उक्त भूमि में से अपने 4/27 हिस्से की 0.35 हे0 भूमि बाबूलाल आत्मज मथुरालाल को बेचान कर दी किन्तु राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 5–6 का नाम दर्ज होने के कारण विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये । इस बाबत विक्रय पत्र के अन्त में पृष्ठ पर अंकित है कि उक्त 0.35 हे0 रेस्पो0 नं0 1 लगायत 4 के हिस्से की भूमि ही बेचान की गयी है तथा अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 5 व 6 यानी भैरूलाल, बाबूलाल , व मोहनलाल का हिस्सा नहीं बेचा है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा व पटवारी हल्का ने इंतकाल तो सही तस्दीक किया है किन्तु इंतकाल के कॉलम नं0 9 में ख0नं0 438 की भूमि में बेची गयी 4/27 हिस्से की भूमि पर केता बाबूलाल आत्मज मथुरालाल का नाम दर्ज हो गया किन्तु शेष रही 3/27 हिस्से की भूमि अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 4–5 के हिस्से की रही किन्तु 3/27 हिस्से पर पुनः रेस्पो0 नं0 1 लगायत 4 का नाम अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 5–6 के साथ दर्ज कर दिया जो गलत है । रेस्पोडेन्ट नं0 7 ने नामान्तकरण तस्दीक करते समय खसरा नम्बर 438 की 3/27 हिस्से की भूमि को शेष सह खातेदार अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 5:6 के नाम दर्ज करना चाहिये था ऐसा न कर अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 5 व 6 को भूमि से वंचित होना पड रहा है । इस कारण उक्त इंतकाल संशोधित किये जाने व उसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 438 की 2.38 हे0 भूमि में अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 5 व 6 का 3/27 हिस्सा निहित है किन्तु उक्त इंतकाल के तहत हिस्सा कम दर्ज हो गया व अपीलान्ट के साथ सभी सह खातेदारान जिसमें विक्रेता रेस्पो0 नं0 8 का भी नाम शामिल कर नाम दर्ज कर अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की गयी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार लाडपुरा का इंतकाल नं0 516 दिनांक 4.1.2007 आंशिक रूप से अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 5–6 के हिस्से तक निरस्त फरमाया जावे व ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 438 की 2.38 हे0 भूमि के राजस्व रिकार्ड से रेस्पो0 नं0 1 लगायत 4 का नाम हटाये जाने तथा अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 5–6 का हिस्सा सही रूप से दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट नं0 8 द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि सह खातेदार रेस्पो0 नं0 1 लगायत 4 ने उक्त भूमि खसरा नं0 438 में से 0.34 हे0 भूमि का बेचान हमारे पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से किया गया है जिसका अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 516 स्वीकृत किया गया है, अपीलांट द्वारा इस अपील में इस बेचान से कोई आपत्ति नहीं कर अपील में यह अनुतोष चाहा गया है कि रेस्पो0 नं0 1 लगायत 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाये जाने के आदेश चाहे गये है । तथा अपील मेमों के अन्तिम पेरा में की गई प्रेयर गलत है कि खसरा नम्बर 438 की 2.38 हे0 भूमि के राजस्व रिकार्ड की पूर्व की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान करें । यह प्रेयर उचित नहीं है क्योंकि उक्त खसरा नं0 438 की रकबा 2.38 हे0 भूमि में से 34 हे0 भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण 1 लगायत 6 द्वारा रेस्पो0 नं0 8 को बेचान की जा चुकी है । अपीलांट द्वारा मुझ रेस्पो0 नं0 8 से चाहा गया अनुतोष स्पष्ट नहीं होकर आधारहीन है । अपील खारिज योग्य है ।

6. रेस्पो0 नं0 11 लगायत 15 द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब में तीन भाईयों कृष्णा, बजरंगलाल व केसरा आत्मज भवाना जी के खाते उक्त खसरा नं0 313 की रकबा 0.41 हे0, खसरा नं0 361 की रकबा 1.10 हे0, खसरा नं0 438 की रकबा 2.38 हे0 , खसरा नं0 440 की रकबा 0.99 हे0 कुल 4.88 हे0 भूमि स्थित चली आ रही थी । जिनके मध्य आपसी बंटवारा उपखण्ड अधिकारी कोटा के न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 11.4.2014 को हो चुका है । और उक्त तीनों भाईयों के वारिसान के नाम पृथक पृथक खाता कायम कर राजस्व इन्द्राज किया जा चुका है । जिसमें कृष्णा जी के वारिसान अर्थात अपीलान्ट व अन्य तथा केसरा जी के वारिसान द्वारा उक्त भूमि में अपने अपने हिस्से का बेचान किया जा चुका है तथा इनकी आराजी नगर विकास न्यास कोटा के खाते भी दर्ज हो चुकी है परन्तु खातेदार बजरंगलाल के वारिस बाबूलाल के द्वारा अपनी हिस्से की भूमि का बेचान नहीं किया गया है जो आज भी बाबूलाल के देहांत के बाद उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है । और उक्त बाबूलाल के हिस्से में खसरा नं0 438 की रकबा 2.38 हे0 में से 1.62 हे0 भूमि उत्तरी ओर की राजस्व रिकार्ड में दर्ज है परन्तु इन सभी तथ्यों को छुपाते हुए अपीलान्ट भैरूलाल द्वारा उक्त इंतकाल नं0

516 दिनांक 4.1.2007 की अपील खसरी नं0 438 के संबंध में की गई है जो कि रेस्पो0 नं0 10 लगायत 15 के खाते की भूमि है उक्त भूमि के ही संबंध में एक रेग्यूलर सूट उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष पेश किया हुआ है इसलिए जो भी कम ज्यादा रकबा का इन्द्राज दुरूस्ती होगी तो वह रेग्यूलर सूट में ही होगी । इसलिए अपीलान्ट की उक्त अपील निरस्तनीय है । भवाना जी के तीनों पुत्र कृष्णा जी, बजरंगलाल, केसरा के वारिसान के मध्य जब विधिवत बंटवारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष हो चुका है और बंटवारे अनुसार पृथक पृथक खाता कायम कर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हो चुका है, उसके प्श्चात उक्त अपील का कोई ओचित्य नहीं है । उक्त बंटवारा भी तीनों भाईयों के वारिसान की आपसी सहमति व राजीनामे के माध्यम से हुआ है ओर दिनांक 11.4.2014 को न्यायालय की डिक्री के माध्यम से हुआ है । अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रह जाता है । ओर जिस इंतकाल की अपील अपीलान्ट द्वारा की गई है वह इंतकाल नं0 516 दिनांक 4.1.2007 को तस्दीक किया गया है जबकि इसके पश्चात 2014 में तो न्यायालय के द्वारा बंटवारे की डिक्री ही पारित कर दी गई । इसलिए उक्त इंतकाल की अपील जो कि 13 वर्ष के डिले के प्श्चात की गई है, और डिले का भी कोई संतुष्टिप्रद कारण अपनी अपील व धारा 5 लिमिटेशन प्रार्थना पत्र में हीं बताया गया है । इसलिए उक्त इंतकाल में अपीलान्ट एग्रीव्ड पर्सन नहीं है इसलिए धारा 96 सीपीसी का आवेदन पत्र भी स्वीकार होने योग्य नहीं है । इसलिए अपीलान्ट की अपील निरस्त किए जाने योग्य है क्योंकि उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 438 के संबंध में रिलीफ चाही है जबकि खसरा नं0 438 में 1.62 हे0 भूमि रेस्पोडेन्टगण के नाम दर्ज की जा चुकी है और खसरा नं0 438 के संबंध में राजस्व रिकार्ड की पूर्व की यथास्थिति के संबंध में बनाए रखने की प्रार्थना की गई है जबकि उक्त भूमि से अपीलान्ट का कोई वास्ता नहीं है । उक्त अपील में अपीलान्ट द्वारा बिल्कुल बोगस प्लीडिंग की गई जिसमें तथ्य ओर उल्लेखित किए गए है व प्रेयर कुछ ओर मांगी गई है । इसलिए भी उक्त अपील त्रुटिपूर्ण होने से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है । इसलिए हर हाल में निरस्त किये जाने योग्य है ।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा में खाता संख्या 46के खसरा नम्बर 438 की रकबा 2.38 हे0 भूमि के सह खातेदार भैरूलाल, बाबूलाल, रामप्रसाद, बंशीलाल, सोहनलाल, मोहनलाल पिता किशना, पुष्पा पुत्री किशना के मुख्तार आम रमेशचंद द्वारा बेचान करने से रेस्पोडेन्ट नं0 8 बाबूलाल के नाम तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तकरण संख्या 516 दिनांक 4.1.2007 स्वीकृत किया गया । उक्त नामान्तकरण के विरूद्व यह अपील दिनांक 30.12.2020 को लिमिटेशन की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है । जो मियाद बाहर है । विलम्ब के लिए अपीलान्ट द्वारा बताये गये कारण कि पक्षकारान के मध्य राजस्व न्यायालय में मुकदमें चल रहे है जिसके दोरान यह आपत्ति उठायी गयी कि नामान्तकरण की कोई अपील नहीं की गयी, इस कारण यह अपील दिनांक 22.12.2020 को इंतकाल की नकल का आवेदन पेश कर दिनांक 29.12.2020 को नकल प्राप्त कर अपील पेश की है । अपीलान्ट द्वारा मियाद के सम्बन्ध में बताये गये कारणों पर पर्याप्त नहीं है किन्तु अपील निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करने के लिए अपील में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है ।

8. अपीलांट द्वारा अपनी अपील मेमों एवं बहस में मुख्य रूप से यह प्रार्थना की गई है कि रेस्पो0 नं0 1 से 4 द्वारा ही खसरा नं0 0.35 हे0 भूमि बाबूलाल आत्मज मथुरालाल को बेचान की गई थी तथा अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 5–6 भेरूलाल, बाबूलाल व मोहनलाल का हिस्सा नहीं बेचा है फिर भी रेस्पो0 नं0 7 द्वारा इन्तकाल संख्या 516 के कॉलम नं0 9 में 4/27 हिस्से पर खरीददार बाबूलाल का नाम अंकित किया गया शेष 3/27 हिस्सा भैरूलाल, बाबूलाल व मोहनलाल का शेष रहा उसके स्थान पर पुनः विक्रेताओं का नाम भी भैरूलाल, बाबूलाल व मोहनलाल के साथ दर्ज कर दिया तथा रेस्पो0 नं0 1–4 का नाम रेकार्ड से हटाये जाने व खसरा नं0 438 की रकबा 2.38 हे0 भूमि राजस्व रिकार्ड की पूर्व की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की गई है । हमने वकील अपीलाधीन नामान्तकरण का अवलोकन किया जिस अनुसार नामान्तकरण में स्पष्ट लिखा है कि खातेदार भैरूलाल, बाबूलाल, सोहनलाल, मोहनलाल पिसरान किशना व पुष्पा पुत्री किशना के मुख्तार आम रमेशचन्द द्वारा खसरा नं0 438 रकबा 2.38 हे0 में से रकबा 0.34 हे0 आराजी का बेचान कर दिया है । इस प्रकार उक्त नामान्तकरण से स्पष्ट जाहिर आया

है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 6 द्वारा 0.34 हे0 का बेचान रेस्पो0 नं0 8 को किया गया है । शेष रकबा सभी खातेदारान का शेष है, इस कारण कॉलम नं0 9 मे रेस्पो0 नं0 1–4 का नाम दर्ज होना जाहिर आया है । उक्त बेचान केवल रेस्पो0 नं0 1–4 द्वारा ही करने का कथन अपीलान्ट द्वारा अपील में किया है कि पुष्टि के लिए विक्रय पत्र की प्रति संलग्न नहीं की है जिससे अपीलांट के कथनों की पुष्टि हो सकें । अपीलांट द्वारा उक्त विक्रय पत्र के विरूद्व सिविल न्यायाधीश (क.ख.) उत्तर कोटा में दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 5.9.2008 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है जिसकी पुष्टि रेस्पो0 नं0 8 द्वारा फर्द के साथ सिविल न्यायालय के मेमों एवं आदेशिका की प्रस्तुत फोटो प्रतियों से होती है ।

9. वकील अपीलांट द्वारा रेस्पो0 नं0 11 से 15 के रेस्पो0 से क्या राहत चाहते है यह अपील में स्पष्ट नहीं किया है । वकील रेस्पो0 नं0 11 से 15 द्वारा अपनी बहस में मुख्यरूप से यह कथन किया है कि यह नामान्तकरण 4.1.2007 को विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है जबकि इसके बाद तीनों भाईयों कृष्णा, बजरंगलाल व केसरा आत्मज भवाना के सभी पक्षकारों के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में सहमति से बंटावाड़ा निर्णय व डिक्री दिनांक 11.4.2014 से बंटवाड़ा होकर खाता पृथक पृथक हो चुका जिसमें अपीलांट व अन्य तथा केसरा जी के वारिसान द्वारा उक्त भूमि का अपने अपने हिस्से का बेचान किया जा चुका है । केवल बाबूलाल ने बेचान नहीं किया, तथा बाबूलाल के देहान्त के बाद उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है । उक्त बाबूलाल के हिस्से में खसरा नं0 438 की रकबा 2.38 हे0 में से 1.62 हे0 भूमि उत्तरी ओर की राजस्व रिकार्ड में बाबूलाल के वारिसान रेस्पो0 नं0 11 से 15 के नाम दर्ज चली आ रही है । अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 516 के बाद भूमि की स्थितियां बदल गई है तथा नामान्तकरण भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया है इस अपील के नामान्तकरण को निरस्त किया जाना उचित नहीं समझते है ।

10. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलाधीन नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है तथा जो तथ्य अपील में प्रकट किये गये तथा जो प्रार्थना अपील में की गई है, वह स्पष्ट नहीं है तथा उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण की अपील 30.12.2020 को की गई है जबकि 11.4.2014 में पक्षकारान के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में बंटवारा हो चुका है, फिर भी इन तथ्यों को छुपाते हुए 4.1.2007 के नामान्तकरण आदेश की अपील 13 वर्ष बाद पेश की गई है । अपीलांट इस अपील में क्लीन हेण्ड नहीं आया है । अपीलाधीन नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार स्वीकृत किया है जिसे इस अपील के जरिये निरस्त नहीं किया जा सकता है, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराने के लिए अपीलांट स्वतंत्र है । अतः अपील स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.1.2007 नामा0 संख्या 516 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

11. निर्णय आज दिनांक 19.3.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा